

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

उप निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश,
तत्कालीन व्याख्याता, प्रा०शि०शि० महाविद्यालय,
शेरघाटी, गया-सम्प्रति-सेवा से बर्खास्त,
पत्राचार का पता-पिता-स्व० कैलाश प्रसाद,
मोहल्ला-बालकिशुनगंज(मेन रोड), गुलजारबाग,
पटना-800007,
मो०नं०-7485053686।

पटना, दिनांक

विषय:- दिनांक 16.03.2026 को अपराह्न 04:30 बजे निर्धारित सुनवाई में साक्ष्य सहित उपस्थित होने के संबंध में।

प्रसंग:- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 226 दिनांक 20.02.2020।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 226 दिनांक 20.02.2020 के संदर्भ में बकाये वेतन (Arrear) से संबंधित आपके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मामले की सुनवाई दिनांक 16.03.2026 को अपराह्न 04:30 बजे निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित सुनवाई में साक्ष्य सहित उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/आ०-05-68/2008.....318.....

पटना, दिनांक ...06-03-2026

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शेरघाटी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शेरघाटी, गया को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र श्री ओम प्रकाश को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।

06-03-2026
उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।